



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05072022-237097  
CG-DL-E-05072022-237097

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 479]  
No. 479]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 5, 2022/ आषाढ 14, 1944  
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 5, 2022/ASHADHA 14, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2022

सं. 10/2022-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 513(अ).— आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) की धारा 44 के पहले परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका वित्तीय वर्ष 2021-2022 में संकलित आवर्त दो करोड़ रुपए तक है, को उक्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी फाइल करने से छूट प्रदान करता है।

[फा. सं. सीबीआईसी-20001/2/2022-जीएसटी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th July, 2022

**No. 10/2022—Central Tax**

**G.S.R. 513(E).**—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 44 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby exempts the registered person whose aggregate turnover in the financial year 2021-22 is up to two crore rupees, from filing annual return for the said financial year.

[F. No. CBIC-20001/2/2022-GST]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2022

**सं. 11/2022-केन्द्रीय कर**

**सा.का.नि. 514(अ).**— सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 21/2019 – केन्द्रीय कर, तारीख 23 अप्रैल 2019 जो संख्याक सा.का.नि 322 (अ) तारीख 23 अप्रैल 2019 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है; अर्थात:-

उक्त अधिसूचना के दूसरे पैरा में, चौथे परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“परन्तु यह और कि उक्त व्यक्ति 30 जून 2022 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए स्वानिधारित कर के संदाय के व्यौरों के विवरण को केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम 2017 के प्ररूप जीएसटी सीएमपी -08 में 31 जुलाई 2022 तक प्रस्तुत करेगा।

[फा. सं. सीबीआईसी-20001/2/2022-जीएसटी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

**टिप्पण :** मूल अधिसूचना संख्या 21/2019 केन्द्रीय कर, तारीख 23 अप्रैल 2019 संख्याक सा.का.नि 322 (अ) तारीख 23 अप्रैल 2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अन्तिम बार अधिसूचना संख्या 25/2021 केन्द्रीय कर तारीख 1 जून 2021 द्वारा संशोधित की गई थी, संख्याक सा.का.नि. 369 (अ) तारीख 1 जून 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी।

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th July, 2022

**No. 11/2022—Central Tax**

**G.S.R. 514(E).**—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 21/2019-Central Tax, dated the 23rd April, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 322(E), dated the 23rd April, 2019, namely:-

In the said notification, in the second paragraph, after the fourth proviso, the following proviso shall be inserted, namely: –

“Provided also that the said persons shall furnish a statement, containing the details of payment of self-assessed tax in FORM GST CMP-08 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 for the quarter ending 30th June, 2022 till the 31st day of July, 2022.”.

[F. No. CBIC-20001/2/2022-GST]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

**Note :** The principal notification No. 21/2019-Central Tax, dated 23rd April, 2019 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 322(E), dated the 23rd April, 2019 and was last amended, vide notification number 25/2021 – Central Tax, dated the 1st June, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 369 (E), dated the 1st June, 2021.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2022

सं. 12/2022-केन्द्रीय कर

**सा.का.नि. 515(अ).**— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 73/2017 केन्द्रीय कर, तारीख 29 दिसम्बर 2017 संख्याक 1600(अ) तारीख 29 दिसम्बर 2017 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है; अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, छठे परन्तुक में “30 जून 2022” अंको, अक्षरों और शब्दों के स्थानपर “28 जुलाई 2022” अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. सीबीआईसी-20001/2/2022-जीएसटी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

**टिप्पण:** मूल अधिसूचना संख्या 73/2017- केन्द्रीय कर, तारीख 29 दिसम्बर 2017 संख्याक सा.का.नि 1600 (अ) तारीख 29 दिसम्बर 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अन्तिम बार अधिसूचना संख्या 07/2022- केन्द्रीय कर तारीख 26 मई 2022 द्वारा संशोधित की गई थी, संख्याक सा.का.नि. 397 (अ) तारीख 26 मई 2022 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी।

### NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 2022

**No. 12/2022–Central Tax**

**G.S.R. 515(E).**— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 73/2017–Central Tax, dated the 29th December, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1600(E), dated the 29th December, 2017, namely: –

In the said notification, in the sixth proviso, for the figures, letters and words “30th day of June, 2022”, the figures, letters and words “28th day of July, 2022” shall be substituted.

[F. No. CBIC-20001/2/2022-GST]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

**Note :** The principal notification No. 73/2017-Central Tax, dated the 29th December, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1600(E), dated the 29th December, 2017 and was last amended, vide notification number 07/2022 – Central Tax, dated the 26th May, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 397 (E), dated the 26th May, 2022.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2022

सं. 13/2022-केन्द्रीय कर

**सा.का.नि. 516(अ).**—सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 13) की धारा 20 और संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिश पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं०35/2020 केन्द्रीय कर तारीख 3 अप्रैल 2020 जो संख्याक सा.का.नि. 235 (अ) तारीख 3 अप्रैल 2020 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं०14/2021, केन्द्रीय कर तारीख 1 मई 2021 जो संख्याक सा.का.नि. 310(अ) तारीख 1 मई 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी का आंशिक उपांतरण करते हुए,-

- (i) संदत्त न किए गए कर या कम संदत्त कर या गलत रूप से लाभ उठाए गए या उपयोग किए गए कर प्रत्यय इनपुट की वसूली के लिए वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए कर की अवधि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (9) के अधीन आदेश जारी करने के लिए धारा 73 की उपधारा (10) के अधीन विनिर्दिष्ट समय सीमा का 30 सितम्बर, 2023 तक विस्तार करती है ;
- (ii) गलत प्रतिदाय की वसूली के लिए उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (9) के अधीन आदेश जारी करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (10) के अधीन परिसीमा अवधि की संगणना के लिए 1 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 तक की अवधि को उपवर्जित करती है ।
- (iii) उक्त अधिनियम की धारा 54 या धारा 55 के अधीन प्रतिदाय आवेदन दाखिल करने के लिए परिसीमा की अवधि की संगणना करने में 1 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 तक की अवधि को उपवर्जित करती है ।

2. यह अधिसूचना 1 मार्च 2020 से प्रवृत्त समझी जाएगी ।

[फा. सं. सीबीआईसी-20001/2/2022-जीएसटी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

### NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 2022

**No. 13/2022—Central Tax**

**G.S.R. 516(E).**— In exercise of the powers conferred by section 168A of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act) read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) and section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) and in partial modification of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 35/2020-Central Tax, dated the 3rd April, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 235(E), dated the 3rd April, 2020 and No. 14/2021-Central Tax, dated the 1st May, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 310(E), dated the 1st May, 2021, the Government, on the recommendations of the Council, hereby,-

- (i) extends the time limit specified under sub-section (10) of section 73 for issuance of order under sub-section (9) of section 73 of the said Act, for recovery of tax not paid or short paid or of input tax credit wrongly availed or utilized, in respect of a tax period for the financial year 2017-18, up to the 30th day of September, 2023;

- (ii) excludes the period from the 1st day of March, 2020 to the 28th day of February, 2022 for computation of period of limitation under sub-section (10) of section 73 of the said Act for issuance of order under sub-section (9) of section 73 of the said Act, for recovery of erroneous refund;
- (iii) excludes the period from the 1st day of March, 2020 to the 28th day of February, 2022 for computation of period of limitation for filing refund application under section 54 or section 55 of the said Act.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of March, 2020.

[F. No. CBIC-20001/2/2022-GST]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2022

सं. 14/2022-केन्द्रीय कर

**सा.का.नि. 517(अ).**—केंद्रीय सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय माल और सेवा कर नियम 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवाकर (संशोधन) नियम, 2022 है।**

(2) इन नियमों में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय माल और सेवा कर नियम 2017 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 21क में, उपनियम (4) के परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह और कि जहां रजिस्ट्रीकरण, धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) में अंतर्विष्ट उपबंधों के उल्लंघन के लिए उपनियम (2क) के अधीन निलंबित किया गया है और रजिस्ट्रीकरण, नियम 22 के अधीन समुचित अधिकारी द्वारा पहले से ही रद्द नहीं किया गया है, वहां रजिस्ट्रीकरण का निलंबन सभी लंबित विवरणियों के प्रस्तुत किए जाने पर वापस लिया गया समझा जाएगा;”;

3. उक्त नियम में, नियम 43 के स्पष्टीकरण 1 में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(घ) भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 1284 (अ) तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 35/2017 केंद्रीय कर (दर) में विनिर्दिष्ट शुल्क प्रत्यय पावती पत्र के प्रदाय का मूल्य;”;

4. उक्त नियम में, नियम 46 में, खंड (द) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(ध) नीचे दी गई एक घोषणा कि, उन सभी मामलों में, जहां ऐसे करदाता, जिसका 2017-18 से आगे किसी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, नियम 48 के उप नियम (4) के अधीन यथा अधिसूचित समग्र आवर्त से अधिक समग्र आवर्त है, के द्वारा नियम 48 के उक्त उप नियम (4) के अधीन इस प्रकार विनिर्दिष्ट रीति से भिन्न रीति में बीजक जारी किया गया है, वहां नियम 48 के उक्त उप नियम (4) के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में बीजक जारी किया जाना आवश्यक नहीं है।

“मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि यद्यपि 2017-18 से किसी भी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में हमारा कुल कारोबार नियम 48 के उप-नियम (4) के तहत अधिसूचित कुल कारोबार से अधिक है, फिर भी हमें उक्त उपनियम के प्रावधानों के अनुसार बीजक तैयार करने की आवश्यकता नहीं है।”;

5. उक्त नियम में, नियम 86 में, उपनियम (4क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(4ख) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उसको,

(क) अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (3) के अधीन; या

(ख) नियम 96 के उपनियम (3) के अधीन, नियम 96 के उपनियम (10) के उल्लंघन में,

गलती से मंजूर की गई प्रतिदाय की रकम को, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से स्वप्रेरणा से या बताए जाने पर ब्याज और शास्ति सहित, जहां कहीं लागू हो, इलैक्ट्रानिक नकद खाते से विकलित करके जमा करता है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जमा की गई, गलती से मंजूर प्रतिदाय की रकम के समतुल्य रकम, समुचित अधिकारी द्वारा प्ररूप जीएसटी पीएमटी-03ए में किए गए आदेश द्वारा इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में पुनः जमा कर दी जाएगी;”

6. उक्त नियम में, नियम 87 में,

(क) उप नियम (3) में, खंड (i) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(i) किसी बैंक से एकीकृत संदाय अंतरापृष्ठ (यूपीआई);

(i) किसी बैंक से तत्काल संदाय सेवा (आई एमपीएस);”;

(ख) उप नियम (5) में, “वास्तविक समय निपटान” शब्दों के पश्चात् “या तत्काल संदाय सेवा” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ग) उपनियम (13) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(14) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, सामान्य पोर्टल पर, अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक नकद खाते में, उपलब्ध कर की किसी रकम, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम को प्ररूप जीएसटी पीएमटी-09 में, धारा 25 की उपधारा (4) या उपधारा (5), जैसी स्थिति हो, में यथाविनिर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्ति के केंद्रीय कर या एकीकृत कर के लिए इलैक्ट्रानिक नकद खाते में अंतरित कर सकेगा

परंतु ऐसा कोई अंतरण तब अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अपने इलैक्ट्रानिक दायित्व रजिस्टर में कोई असंदत्त दायित्व रखता है;”

7. उक्त नियम में, नियम 88क के पश्चात्, 1 जुलाई, 2017 से निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :-

“88ख. कर के विलंबित संदाय पर ब्याज संगणित करने की रीति. – (1) यदि, जहां एक कर अवधि के दौरान किए गए प्रदाय, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उक्त अवधि के लिए विवरणी में घोषित किए जाते हैं, और उक्त विवरणी धारा 39 के उपबंधों के अनुसार देय तारीख के पश्चात् प्रस्तुत की जाती है, सिवाय वहां के जहां ऐसी विवरणी उक्त अवधि के संबंध में धारा 73 या धारा 74 के अधीन किसी कार्यवाही के प्रारंभ के पश्चात् प्रस्तुत की जाती है, वहां ऐसे प्रदायों के संबंध में संदेय कर पर ब्याज की संगणना, धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन यथाअधिसूचित दर पर, उक्त विवरणी फाइल करने में देय तारीख के पश्चात् विलंब की अवधि के लिए, कर के ऐसे भाग पर की जाएगी जिसका संदाय इलैक्ट्रानिक नकद खाते से विकलित करके किया जाता है।

(2) अन्य सभी मामलों में, जहां धारा 50 की उपधारा (1) के अनुसार ब्याज संदेय है, वहां ब्याज की संगणना, धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन यथाअधिसूचित दर पर, उस तारीख से आरंभ होने वाली अवधि के लिए जिसको ऐसा कर संदाय किए जाने के लिए देय था से ऐसे कर का संदाय किए जाने की तारीख तक, कर की उस रकम पर, जो असंदत्त रहती है, की जाएगी।

(3) उस दशा में, जहां गलती से लिए गए और उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम पर ब्याज, धारा 50 की उपधारा (3) के अनुसार संदेय है, वहां ब्याज की संगणना, ऐसे गलती से लिए गए और उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम पर इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग की तारीख से आरंभ होकर ऐसे प्रत्यय के उत्क्रमण या कर के संदाय की तारीख तक की अवधि के लिए, धारा 50 की उक्त उपधारा (3) के अधीन यथाअधिसूचित दर पर, की जाएगी।

स्पष्टीकरण. — इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, —

(1) गलती से लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के बारे में यह समझा जाएगा कि उसका उपयोग उस समय कर लिया गया है जब इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में अतिशेष गलती से लिए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम से कम आता है और इनपुट कर प्रत्यय के ऐसे उपयोग का परिमाण वह रकम होगी जितना इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में अतिशेष गलती से लिए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम से कम आता है।

(2) ऐसे इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग की तारीख :-

(क) वह तारीख मानी जाएगी जिसको धारा 39 के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए विवरणी देय है या उक्त विवरणी के फाइल किए जाने की वास्तविक तारीख, जो भी पहले हो, यदि इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में अतिशेष उक्त विवरणी के माध्यम से कर के संदाय के कारण, गलती से लिए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम से कम होता है; या

(ख) सभी अन्य मामलों में, इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में विकलन की वह तारीख मानी जाएगी जब इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में अतिशेष गलती से लाभ उठाए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम से कम होता है;”;

8. उक्त नियम में, नियम 89 में, -

(क) उपनियम (1) में, चौथे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

‘स्पष्टीकरण. — इन उपनियम के प्रयोजनों के लिए, “विनिर्दिष्ट अधिकारी” से विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के नियम 2 के अधीन यथापरिभाषित कोई “विनिर्दिष्ट अधिकारी” या कोई “प्राधिकृत अधिकारी” अभिप्रेत है।’;

(ख) उपनियम (2) में, -

(i) खंड (ख) में, “माल के निर्यात” शब्दों के पश्चात् “, विद्युत से भिन्न,” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(खक) उस दशा में, जहां प्रतिदाय विद्युत के निर्यात के कारण होता है, वहां, निर्यात बीजकों की संख्या और तारीख अंतर्विष्ट करने वाला विवरण, निर्यातित ऊर्जा के ब्यौरे, करार के अनुसार विद्युत के निर्यात के लिए प्रतियूनिट टैरिफ के साथ केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2010 के विनियम 2 के उपविनियम 1 के खंड (ढढढ) के अधीन क्षेत्रीय उर्जा लेखा (आरईए) के भाग के रूप में क्षेत्रीय विद्युत समिति सचिवालय द्वारा जारी उत्पादन संयंत्रों द्वारा निर्यातित विद्युत के लिए अनुसूचित ऊर्जा के विवरण की प्रति तथा निर्यातित ऊर्जा के ब्यौरे प्रति यूनिट टैरिफ का उल्लेख करने वाले करार की प्रति;”;

(ग) उपनियम (4) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“स्पष्टीकरण. — इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, भारत से बाहर निर्यात किए गए माल का मूल्य निम्नलिखित के रूप में माना जाएगा -

(i) पोत परिवहन पत्र और निर्यात पत्र (प्ररूप) विनियम 2017 के अनुसार, यथास्थिति, पोत परिवहन पत्र या निर्यात पत्र प्ररूप में घोषित फ्री ऑन बोर्ड मूल्य; या

(ii) कर बीजक या प्रदाय पत्र में घोषित मूल्य,

इनमें से जो भी कम हो.”;

(घ) उप नियम (5) में, “ऐसे व्युत्क्रमित दर के माल और सेवाओं के प्रदाय पर संदेय कर” शब्दों के स्थान पर “{ऐसे व्युत्क्रमित दर के माल और सेवाओं के प्रदाय पर संदेय कर X (शुद्ध आईटीसी + इनपुटों और इनपुट सेवाओं पर लिए गए आईटीसी)}.” कोष्ठक, शब्द व अक्षर प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

9. उक्त नियम में, नियम 95क का 1 जुलाई, 2019 से लोप किया गया समझा जाएगा;

10. उक्त नियम में, 1 जुलाई, 2017 से, नियम 96 में,-

(क) उप नियम (1) में, खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :-

“(ख) आवेदक ने प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत की है:

परंतु यदि पोत परिवहन पत्र माल के निर्यातकर्ता द्वारा प्रस्तुत आंकड़े और प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक प्रदायों के विवरण में प्रस्तुत आंकड़ों के बीच कोई अंतर है, तब, भारत से बाहर निर्यात किए गए माल पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय के लिए ऐसे आवेदन को उस तारीख को फाइल किया हुआ समझा जाएगा जब उक्त पोत परिवहन पत्र की बाबत ऐसा अंतर निर्यातकर्ता द्वारा ठीक कर दिया जाता है;”;

(ख) उपनियम (4) में,

(i) खंड (ख) में, “1962” अंकों के स्थान पर, “1962 या” अंक और शब्द प्रतिस्थापित किये गए समझे जाएंगे;

(ii) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :-

“(ग) बोर्ड में आयुक्त या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की, डाटा विश्लेषण और जोखिम पैरामीटरों के आधार पर, यह राय है कि निर्यातकर्ता के प्रत्यय पत्र का सत्यापन, जिसमें निर्यातकर्ता द्वारा आईटीसी का लिया जाना भी है, राजस्व के हित को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिदाय की मंजूरी से पूर्व आवश्यक समझा जाता है.”;

(ग) उप नियम (5) का लोप किया गया समझा जाएगा ।

(घ) उप नियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे, अर्थात् :-

“(5क) जहां प्रतिदाय उपनियम (4) के खंड (क) या खंड (ग) के उपबंधों के अनुसार रोका गया है, वहां ऐसा दावा प्रणाली सृजित प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से, यथास्थिति, केंद्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के समुचित अधिकारी को पारेषित किया जाएगा और ऐसे पारेषण की सूचना सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से निर्यातकर्ता को भी भेजी जाएगी और किसी अन्य नियम में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उक्त प्रणाली सृजित प्ररूप ऐसे मामलों में प्रतिदाय के लिए आवेदन समझा जाएगा और ऐसे पारेषण की तारीख को फाइल किया गया समझा जाएगा ।

(5ख) जहां प्रतिदाय उपधारा (4) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसार रोका गया है और सीमाशुल्क का समुचित अधिकारी ऐसा कोई आदेश पारित करता है कि माल, सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए निर्यात किया गया है वहां ऐसा दावा प्रणाली सृजित प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से, यथास्थिति, केंद्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के समुचित अधिकारी को पारेषित किया जाएगा और ऐसे पारेषण की सूचना सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से निर्यातकर्ता को भी भेजी जाएगी और किसी अन्य नियम में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उक्त प्रणाली सृजित प्ररूप ऐसे मामलों में प्रतिदाय के लिए आवेदन समझा जाएगा और ऐसे पारेषण की तारीख को फाइल किया गया समझा जाएगा ।

(5ग) उपनियम (5क) और उपनियम (5ख) के के अनुसार सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से पारेषित प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 में प्रतिदाय के लिए आवेदन पर नियम 89 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी;”;

(ड.) उपनियम (6) और उपनियम(7) का लोप किया गया समझा जाएगा;

11. उक्त नियम में, प्ररूप जीएसटीआर-3ख में,

(क) पैरा 3.1 के शीर्ष में “विपर्यय प्रभारों के प्रति दायी” शब्दों के पश्चात् “, उनसे भिन्न जो 3.1.1 के अंतर्गत आते हैं,” कोष्ठक, शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) पैरा 3.1 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“3.1.1 केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 9 की उपधारा (5) और एकीकृत माल और सेवाकर/संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवाकर /राज्य माल और सेवाकर अधिनियमों में तत्स्थानी उपबंधों के अधीन अधिसूचित प्रदायों के ब्यौरे।



प्रदायों की प्रकृति	कुल कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6
(i) ऐसे कराधेय प्रदाय जिन पर धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक कर का संदाय करता है (इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक द्वारा प्रस्तुत किया जाए)					
(ii) इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किए गए कराधेय प्रदाय जिन पर धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक को कर का संदाय करने की आवश्यकता है (इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से प्रदाय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाए)।";					

(ग) पैरा 3.2 में, शीर्षक में, "3.1(क)" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर के पश्चात, निम्नलिखित शब्द, अंक और अक्षर "और 3.1.1(i) "को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(घ) पैरा 4 के अधीन सारणी में, स्तंभ (1) में, -

(i) मद (आ) में, उप-मद (1) के सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -  
" सीजीएसटी नियम के नियम 38, 42 और 43 और धारा 17 की उप-धारा (5) के अनुसार ";

(ii) मद (ई) में, -

(क) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्: -

"अन्य विवरण";

(ख) उप-मद (1) के सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

" पुनः प्राप्त किया गया आईटीसी जिसे पहले की कर अवधि में सारणी 4(आ)(2) के अधीन वापस कर दिया गया था";

(ग) उप-मद (2) के सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

"धारा 16(4) के अधीन अपात्र आईटीसी और पीओएस उपबंधों के कारण प्रतिबंधित आईटीसी";

(ङ) अनुदेश शीर्षक के अधीन, पैरा 3 के पश्चात, निम्नलिखित पैरा को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(4) एक इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक (ईसीओ), जिस आपूर्ति पर ईसीओ को केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 की उप-धारा (5) के अधीन कर का भुगतान करने की आवश्यकता है को ऊपर 3.1(क) में सम्मिलित नहीं करेगा और ऊपर 3.1.1(i) में ऐसी आपूर्ति को रिपोर्ट करेगा।

(5) इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक (ईसीओ) के माध्यम से आपूर्ति करने वाला एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिन आपूर्तियों पर केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 की उप-धारा (5) के अधीन ईसीओ को कर का भुगतान करने की आवश्यकता है को उपरोक्त 3.1(क) में सम्मिलित नहीं करेगा और उपरोक्त 3.1.1(ii) में ऐसी आपूर्ति को रिपोर्ट करेगा।";

12. उक्त नियम में, प्ररूप जीएसटीआर-9 में, शीर्षक अनुदेश के अधीन, -

(क) पैरा 4 में, -

(अ) "या वित्तीय वर्ष 2020-21" शब्द, अक्षर और अंक के पश्चात्, "या वित्तीय वर्ष 2021-22" शब्द, अक्षर और अंक को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(आ) सारणी के, दूसरे स्तंभ में, -

(I) क्रम संख्यांक 5घ, 5ड और 5च के सामने, अंत में निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

'वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को पृथक रूप से गैर-जीएसटी प्रदाय (5च) रिपोर्ट करनी होगी और उसके पास अपनी आपूर्ति को पृथक रूप से छूट- प्राप्त और शून्य रेटेड रिपोर्ट करने या केवल पंक्ति "छूट- प्राप्त " में इन दो छूट- प्राप्त और शून्य रेटेड शीर्षों के लिए समेकित जानकारी की आपूर्ति रिपोर्ट करने का विकल्प होगा।';

(II) क्रम संख्यांक 5ज, 5झ, 5ञ और 5ट के सामने, "2019-20 और 2020-21" अंक और शब्द के स्थान पर, क्रमशः "2019-20, 2020-21 और 2021-22" अंक और शब्द को रखा जाएगा;

(ख) पैरा 5 में, सारणी में, दूसरे स्तंभ में, -

(अ) क्रम संख्यांक 6ख, 6ग, 6घ और 6ड के सामने, "वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21" अक्षरों और अंकों के स्थान पर, "वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22" अक्षर, आंकड़े और शब्द क्रमशः रखा जाएगा;

(आ) क्रम संख्यांक 7क, 7ख, 7ग, 7घ, 7ड, 7च, 7छ और 7ज के सामने "2019-20 और 2020-21" अंक और शब्द के स्थान पर "2019-20, 2020-21 और 2021-22" अंक और शब्द को रखा जाएगा;

(ग) पैरा 7 में, -

(अ) "अप्रैल, 2021 से सितंबर, 2021" शब्दों और अंकों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, भाग 5 पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के संव्यवहारों जिनको अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 के बीच प्ररूप जीएसटीआर-3ख में संदत्त किया गया है, की विशिष्टियों से मिल कर बना है।";

(आ) सारणी में, दूसरे स्तंभ में, -

(I) क्रम संख्या 10 और 11 के सामने, अंत में निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी अर्थात्: -

"वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की विवरणी में पहले से घोषित किसी भी आपूर्ति में परिवर्धन या संशोधन के ब्यौरे, किंतु ऐसे संशोधन अप्रैल, 2022 सितंबर, 2022 के प्ररूप जीएसटीआर -1 की सारणी 9क, सारणी 9ख और सारणी 9ग में प्रस्तुत किए गए थे, यहां घोषित किया जाएगा।";

(II) क्रम संख्या 12 के सामने, -

(1) " सितंबर 2021 के महीनों के लिए फाइल की गई विवरणी में प्रत्यागमित कर दिया गया था, यहां घोषित किया जाएगा। प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख) इन ब्योरों को भरने के लिए उपयोग की जा सकेगी।", शब्दों, अक्षरों, अंकों और कोष्ठकों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, आईटीसी के प्रत्यागम का कुल मूल्य जो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में लिया गया था, किन्तु अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 के महीनों के लिए फाइल की गई विवरणी में प्रत्यागमित कर दिया गया था, यहां घोषित किया जाएगा। प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख) इन ब्योरों को भरने के लिए उपयोग की जा सकेगी।";

(2) "2019-20 और 2020-21" अंक और शब्द के स्थान पर "2019-20, 2020-21 और 2021-22" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(III) क्रम संख्या 13 के सामने, -

(1) "वित्तीय वर्ष 2021-22 में पुनः दावा किया गया, ऐसी पुनः दावा की गई आईटीसी के विवरण वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक विवरणी में प्रस्तुत किए जाएंगे।" शब्दों, अंकों और अक्षरों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में प्राप्त माल और सेवाओं के लिए आईटीसी के ब्यौरे, किन्तु जिनके लिए आईटीसी अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 के महीनों के लिए फाइल की गई विवरणी में लिया गया था, यहाँ घोषित किए जाएंगे। प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क) का इन ब्योरों को भरने के लिए उपयोग किया जा सकेगा। तथापि, कोई आईटीसी जिसका प्रत्यागम धारा 16 की उप-धारा (2) के दूसरे परंतुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में किया गया था किन्तु जिसे वित्तीय वर्ष 2022-23 में पुनः दावा किया गया, ऐसी पुनः दावा की गई आईटीसी के विवरण वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक विवरणी में प्रस्तुत किए जाएंगे।";

(2) "2019-20 और 2020-21" अंक और शब्द के स्थान पर "2019-20, 2020-21 और 2021-22" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(घ) पैरा 8 में, सारणी में, दूसरे स्तंभ में, -

(अ) क्रम संख्या

(I) 15क, 15ख, 15ग और 15घ,

(II) 15ड, 15च और 15छ,

के सामने, -

"2019-20 और 2020-21" अंक और शब्द के स्थान पर, जहां कहीं भी वे आते हैं, "2019-20, 2020-21 और 2021-22" अक्षर, अंक और शब्द को क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाएगा।";

(आ) क्रम संख्या 16क, 16ख और 16ग के सामने "2019-20 और 2020-21" अंक और शब्द के स्थान पर, "2019-20, 2020-21 और 2021-22" अंक और शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा।";

(इ) क्रम संख्यांक 17 और 18 के सामने, -

(I) " जिनका वार्षिक आवर्त 5.00 करोड़ रुपए से अधिक है।" शब्दों, अक्षरों और अंकों के पश्चात् "वित्तीय वर्ष 2021-22 से, पूर्ववर्ती वर्ष में 5.00 करोड़ रुपए से अधिक वार्षिक आवर्त वाले करदाताओं के लिए छह अंकों के स्तर और पूर्ववर्ती वर्ष में 5.00 करोड़ रुपए तक वार्षिक आवर्त वाले करदाताओं के लिए सभी बी 2 बी आपूर्ति के लिए चार अंकों के स्तर पर एचएसएन कोड की रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा" शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किये जायेंगे;

(II) अंत में निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास सारणी 18 न भरने का विकल्प होगा।";

13. उक्त नियम में, शीर्ष अनुदेश के अधीन प्ररूप जीएसटीआर -9ग में,-

(क) पैरा 4 में, सारणी में, दूसरे स्तंभ में, "2019-20 और 2020-21" अंक और शब्द के स्थान पर, जहां भी वे आते हैं, "2019-20, 2020-21 और 2021-22" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) पैरा 6 में, सारणी में, दूसरे स्तंभ में, क्रम संख्या 14 के सामने, "2019-20 और 2020-21" अंक और शब्द के स्थान पर, "2019-20, 2020-21 और 2021-22" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

14. उक्त नियम में, प्ररूप जीएसटी पीएमटी-03 के पश्चात, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

<p>" प्ररूप जीएसटी पीएमटी-03क [दिखें नियम 86(4ख)] इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता में राशि का पुनः क्रेडिट करने का आदेश</p>							
संदर्भ संख्या:				तारीख:			
<p>1. जीएसटीएन- 2. नाम (विधिक) - 3. व्यापार का नाम, यदि कोई हो 4. पता - 5. खाता जिसके विकलन से प्रविष्टि दावा प्रतिदाय के लिए किया गया था - नकद/ प्रत्यय खाता 6. विकलन प्रविष्टि सं. और तारीख - 7. भुगतान संदर्भ संख्या (डीआरसी 03):..... तारीख..... 8. भुगतान का विवरण:-</p>							
भुगतान का कारण		(अप्रयुक्त आईटीसी के गलत प्रतिदाय या आईजीएसटी के गलत प्रतिदाय की राशि के लिए जमा)					
प्रतिदाय मंजूरी आदेश का विवरण		<p>1. शिपिंग बिल/ निर्यात बिल संख्या और तारीख 2. माल के निर्यात पर भुगतान की गई आईजीएसटी की राशि 3. झूट/रियायती दर अधिसूचना का विवरण आदानों की खरीद 4. स्वीकृत प्रतिदाय की राशि 5. बैंक खाते में धनवापसी जमा करने की तारीख</p>					
		(या)					
		<p>1. प्रतिदाय की श्रेणी और प्रतिदाय की सुसंगत अवधि 2. जीएसटी आरएफडी-01/01ए एआरएन और तारीख - 3. जीएसटी आरएफडी -06 आदेश संख्या और तारीख 4. दावा की गई प्रतिदाय की राशि 5. स्वीकृत प्रतिदाय की राशि</p>					
10. पुनः क्रेडिट करने के आदेश की संख्या और तारीख, यदि कोई -							
11. क्रेडिट राशि -							
क्र.सं.	अधिनियम (केंद्रीय कर/राज्य कर/संघ राज्य कर/एकीकृत कर/कम)	क्रेडिट की राशि (रु.)					
		कर	ब्याज	दंड	शुल्क	अन्य	कुल
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<p>हस्ताक्षर नाम अधिकारी का पदनाम</p>							
<p>टिप्पण: 'केंद्रीय कर' का अर्थ केंद्रीय माल और सेवा कर है; 'राज्य कर' का अर्थ राज्य माल और सेवा कर है; 'संघ राज्य क्षेत्र कर' का अर्थ संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर है; 'एकीकृत कर' का अर्थ है एकीकृत माल और सेवा कर और 'उपकर' का अर्थ है माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर)";</p>							

15. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी पीएमटी-06 में,-

(क) संदाय का ढंग (सुसंगत भाग सक्रिय होगा जब विशिष्ट रूप में चयन किया जाए) शीर्षक के अधीन,

ई-संदाय (यह ई-संदाय के सभी ढंग सम्मिलित होगा जैसे सीसी/डीसी और नेट बैंकिंग । करदाता इसमें एक का चयन करें ।)

से प्रारंभ होने वाले और "टिप्पण: संदाय करते समय व्यक्ति द्वारा संदत्त प्रभारों के लिए पृथक रूप से हो ।," से अंत होने वाले भाग के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“ <input type="checkbox"/> ई-संदाय (इसमें ई-संदाय के सभी ढंग सम्मिलित होंगे जैसे सीसी/डीसी, नेट बैंकिंग और यूपीआई । करदाता इसमें एक का चयन करें ।)	<input type="checkbox"/> अतिरेक पटल (ओटीसी)		<input type="checkbox"/> आईएमपीएस
	बैंक (जहां नकद या लिखत निक्षेप किये जानेके लिए प्रस्तावित हैं )		
	लिखत के ब्यौरे		
	<input type="checkbox"/> नगद	<input type="checkbox"/> चैक	
<input type="checkbox"/> एनईएफटी/आरटीजीएस			
प्रेषण बैंक			
लाभार्थी का नाम		जीएसटी	
लाभार्थी लेखा संख्या (सीपीआईएन)		< सीपीआईएन>	
लाभार्थी के बैंक का नाम		भारतीय रिजर्व बैंक	
लाभार्थी के बैंक का भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (आईएफएससी)		आरबीआई का आईएफएससी	
रकम			

टिप्पण: बैंक प्रभार, यदि कोई हो, संदाय करते समय व्यक्ति द्वारा बैंक को पृथक रूप से संदत्त किए जाएंगे ।

• आईएमपीएस	
प्रेषण बैंक	
लाभार्थी का नाम	जीएसटी
लाभार्थी लेखा संख्या (सीपीआईएन)	< सीपीआईएन>
लाभार्थी के बैंक का नाम	< चयनित प्राधिकृत बैंक>
लाभार्थी के बैंक का भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (आईएफएससी)	< चयनित प्राधिकृत बैंक का आईएफएससी>
रकम	

टिप्पण: बैंक प्रभार, यदि कोई हो, संदाय करते समय व्यक्ति द्वारा बैंक को पृथक रूप से संदत्त किए जाएंगे । ”;

(ख) संदत्त चालान सूचना शीर्षक के अधीन सारणी में "संदर्भ बैंक सं. (बीआरएन)/यूटीआर" शब्दों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर "संदर्भ बैंक सं.(बीआरएन)/यूटीआर/आरआरएन" शब्द, अक्षर और कोष्ठक प्रतिस्थापित किया जाएगा;

16. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटीपीएमटी-07 में, सारणी में,

(क) क्रम संख्यांक 6 के सामने तीसरे स्तंभ में

“एनईएफटी/आरटीजीएस □”
-------------------------

के स्थान पर निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“एनईएफटी/आरटीजीएस □	आईएमपीएस □”
------------------------	----------------

(ख) क्रम संख्यांक 10 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"10क	पुनः प्राप्य संदर्भ संख्यांक (आर आर एन)- आई एम पीएस ।"
------	--

17. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटीपीएमटी-09 में, -

(क) " [नियम 87 (13) देखें]" कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर " [नियम 87 (13) देखें और नियम 87(14) देखें]" कोष्ठक, शब्द, अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) सारणी में, क्रम संख्यांक 4 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"4क	उसी पीएएन पर अंतरिती का जीएसटीआईएन";
-----	--------------------------------------

(ग) अनुदेश शीर्षक के अधीन, पैरा 5 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(6) सीजीएसटी/आईजीएसटी शीर्ष के अधीन नकद खाता में उपलब्ध रकम, यदि आवश्यकता हो, उसी पैर पर रजिस्ट्रीकृत किसी अन्य करदाता को सीजीएसटी/आईजीएसटी शीर्ष के अधीन अंतरित की जा सकती है ।

(7) यदि अंतरक के इलैक्ट्रानिक दायित्व रजिस्टर में असंदत्त देयता विद्यमान है तो रकम को अंतरित करने की अनुमति नहीं होगी ।";

18. उक्त नियमों में, प्ररूप -जीएसटी-आईएफडी-01 में, -

(क) कथन 3 में, सारणी में, लदान बिल /निर्यात का बिल शीर्षक के अधीन, स्तंभ 9 के पश्चात् निम्नलिखित स्तंभ अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"एफओबी मूल्य
9क";

(ग) कथन-3क के पश्चात्, निम्नलिखित कथन अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

**"कथन-3ख [नियम 89(2) (खक)]**

प्रतिदाय का प्रकार: कर के संदाय के बिना विद्युत का निर्यात (संचित आईटीसी)

क्र.सं.	बीजक/दस्तावेज के ब्यौरे				आरईएब्यौरे					प्रति टैरिफ रु. में इकाई (करार के अनुसार)	निर्यातित इकाई (वर्ग सं. 5 और 10 में से निम्नतर)	रु. में निर्यातित विद्युत का मूल्य (11X12)
	दस्तावेज का प्रकार	सं.	तारीख	निर्यातित ऊर्जा (इकाइयां)	सृजित केंद्र	अवधि	संदर्भ सं.	तारीख	निर्यातित ऊर्जा अनुसूची (इकायां)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												”;

19. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटीआरएफडी-10 ख, 1 जुलाई, 2019 के दिन से लोप किया गया समझा जाएगा।

[फा. सं. सीबीआईसी-20001/2/2022-जीएसटी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) अधिसूचना सं. 3/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 में प्रकाशित संख्यांक सा.का.नि. 610 (अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. 40/2021-केन्द्रीय कर, तारीख 29 दिसंबर, 2021, संख्यांक सा.का.नि.902 (अ), तारीख 29 दिसंबर, 2021 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th July, 2022

**No. 14/2022–Central Tax**

**G.S.R. 517(E).**—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: —

**1. Short title and commencement.** -(1) These rules may be called the Central Goods and Services Tax (Amendment) Rules, 2022.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 21A, in sub-rule (4), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided further that where the registration has been suspended under sub-rule (2A) for contravention of the provisions contained in clause (b) or clause (c) of sub-section (2) of section 29 and the registration has not already been cancelled by the proper officer under rule 22, the suspension of registration shall be deemed to be revoked upon furnishing of all the pending returns.”;

3. In the said rules, in *Explanation 1* to rule 43, after clause (c), the following clause shall be inserted, namely: -

“(d) the value of supply of Duty Credit Scrips specified in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue No. 35/2017-Central Tax (Rate), dated the 13<sup>th</sup> October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number GSR 1284(E), dated the 13<sup>th</sup> October, 2017.”;

4. In the said rules, in rule 46, after clause (r), the following clause shall be inserted, namely: -

‘(s) a declaration as below, that invoice is not required to be issued in the manner specified under sub-rule (4) of rule 48, in all cases where an invoice is issued, other than in the manner so specified under the said sub-rule (4) of rule 48, by the taxpayer having aggregate turnover in any preceding financial year from 2017-18 onwards more than the aggregate turnover as notified under the said sub-rule (4) of rule 48-

“I/We hereby declare that though our aggregate turnover in any preceding financial year from 2017-18 onwards is more than the aggregate turnover notified under sub-rule (4) of rule 48, we are not required to prepare an invoice in terms of the provisions of the said sub-rule.”;

5. In the said rules, in rule 86, after sub-rule (4A), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

“(4B) Where a registered person deposits the amount of erroneous refund sanctioned to him, -

(a) under sub-section (3) of section 54 of the Act, or

(b) under sub-rule (3) of rule 96, in contravention of sub-rule (10) of rule 96,

along with interest and penalty, wherever applicable, through **FORM GST DRC-03**, by debiting the electronic cash ledger, on his own or on being pointed out, an amount equivalent to the amount of erroneous refund deposited by the registered person shall be re-credited to the electronic credit ledger by the proper officer by an order made in **FORM GST PMT-03A**.”;

6. In the said rules, in rule 87, -

(a) in sub-rule (3), after clause (i), the following clauses shall be inserted, namely: -

“(ia) Unified Payment Interface (UPI) from any bank;

(ib) Immediate Payment Services (IMPS) from any bank;”;

(b) in sub-rule (5), after the words “Real Time Gross Settlement”, the words “or Immediate Payment Service” shall be inserted;

(c) after sub-rule (13), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

“(14) A registered person may, on the common portal, transfer any amount of tax, interest, penalty, fee or any other amount available in the electronic cash ledger under the Act to the electronic cash ledger for central tax or integrated tax of a distinct person as specified in sub-section (4) or, as the case may be, sub-section (5) of section 25, in **FORM GST PMT-09**:

Provided that no such transfer shall be allowed if the said registered person has any unpaid liability in his electronic liability register.”;

7. In the said rules, with effect from the 1<sup>st</sup> July, 2017, after rule 88A, the following rule shall be deemed to have been inserted, namely: -

**“88B. Manner of calculating interest on delayed payment of tax.-**(1) In case, where the supplies made during a tax period are declared by the registered person in the return for the said period and the said return is furnished after the due date in accordance with provisions of section 39, except where such return is furnished after commencement of any proceedings under section 73 or section 74 in respect of the said period, the interest on tax payable in respect of such supplies shall be calculated on the portion of tax which is paid by debiting the electronic cash ledger, for the period of delay in filing the said return beyond the due date, at such rate as may be notified under sub-section (1) of section 50.

(2) In all other cases, where interest is payable in accordance with sub section (1) of section 50, the interest shall be calculated on the amount of tax which remains unpaid, for the period starting from the date on which such tax was due to be paid till the date such tax is paid, at such rate as may be notified under sub-section (1) of section 50.

(3) In case, where interest is payable on the amount of input tax credit wrongly availed and utilised in accordance with sub-section (3) of section 50, the interest shall be calculated on the amount of input tax credit wrongly availed and utilised, for the period starting from the date of utilisation of such wrongly availed input tax credit till the date of reversal of such credit or payment of tax in respect of such amount, at such rate as may be notified under said sub-section (3) of section 50.

*Explanation.* —For the purposes of this sub-rule, —

(1) input tax credit wrongly availed shall be construed to have been utilised, when the balance in the electronic credit ledger falls below the amount of input tax credit wrongly availed, and the extent of such utilisation of input tax credit shall be the amount by which the balance in the electronic credit ledger falls below the amount of input tax credit wrongly availed.



(2) the date of utilisation of such input tax credit shall be taken to be, —

- (a) the date, on which the return is due to be furnished under section 39 or the actual date of filing of the said return, whichever is earlier, if the balance in the electronic credit ledger falls below the amount of input tax credit wrongly availed, on account of payment of tax through the said return; or
- (b) the date of debit in the electronic credit ledger when the balance in the electronic credit ledger falls below the amount of input tax credit wrongly availed, in all other cases.”;

8. In the said rules, in rule 89, —

- (a) in sub-rule (1), after the fourth proviso, the following *Explanation* shall be inserted, namely: -

‘*Explanation.* — For the purposes of this sub-rule, “specified officer” means a “specified officer” or an “authorised officer” as defined under rule 2 of the Special Economic Zone Rules, 2006.’;

- (b) in sub-rule (2), —

(i) in clause (b), after the words “on account of export of goods”, the words “, other than electricity” shall be inserted;

(ii) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely: -

“(ba) a statement containing the number and date of the export invoices, details of energy exported, tariff per unit for export of electricity as per agreement, along with the copy of statement of scheduled energy for exported electricity by Generation Plants issued by the Regional Power Committee Secretariat as a part of the Regional Energy Account (REA) under clause (nnn) of sub-regulation 1 of Regulation 2 of the Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2010 and the copy of agreement detailing the tariff per unit, in case where refund is on account of export of electricity;”;

- (c) in sub-rule (4), the following *Explanation* shall be inserted, namely: -

‘*Explanation.* — For the purposes of this sub-rule, the value of goods exported out of India shall be taken as —

(i) the Free on Board (FOB) value declared in the Shipping Bill or Bill of Export form, as the case may be, as per the Shipping Bill and Bill of Export (Forms) Regulations, 2017; or

(ii) the value declared in tax invoice or bill of supply, whichever is less.”;

- (d) in sub-rule (5), for the words “tax payable on such inverted rated supply of goods and services”, the brackets, words and letters “{tax payable on such inverted rated supply of goods and services x (Net ITC÷ ITC availed on inputs and input services)}.” shall be substituted;

9. In the said rules, rule 95A shall be deemed to have been omitted with effect from the 1<sup>st</sup> July, 2019;

10. In the said rules, with effect from the 1<sup>st</sup> day of July, 2017, in rule 96, —

- (a) in sub-rule (1), for clause (b), the following clause shall be deemed to have been substituted, namely: -

“(b) the applicant has furnished a valid return in **FORM GSTR-3B**:

Provided that if there is any mismatch between the data furnished by the exporter of goods in Shipping Bill and those furnished in statement of outward supplies in **FORM GSTR-1**, such application for refund of integrated tax paid on the goods exported out of India shall be deemed to have been filed on such date when such mismatch in respect of the said shipping bill is rectified by the exporter;”;

(b) in sub-rule (4),

(i) in clause (b), for the figures “1962” the figures and word “1962; or” shall be deemed to have been substituted;

(ii) after clause (b), the following clause shall be deemed to have been inserted, namely: -

“(c) the Commissioner in the Board or an officer authorised by the Board, on the basis of data analysis and risk parameters, is of the opinion that verification of credentials of the exporter, including the availment of ITC by the exporter, is considered essential before grant of refund, in order to safeguard the interest of revenue.”;

(c) sub-rule (5) shall be deemed to have been omitted;

(d) after sub-rule (5), the following sub-rules shall be deemed to have been inserted, namely: -

“(5A) Where refund is withheld in accordance with the provisions of clause (a) or clause (c) of sub-rule (4), such claim shall be transmitted to the proper officer of Central tax, State tax or Union territory tax, as the case may be, electronically through the common portal in a system generated **FORM GST RFD-01** and the intimation of such transmission shall also be sent to the exporter electronically through the common portal, and notwithstanding anything to the contrary contained in any other rule, the said system generated form shall be deemed to be the application for refund in such cases and shall be deemed to have been filed on the date of such transmission.

(5B) Where refund is withheld in accordance with the provisions of clause (b) of sub-rule (4) and the proper officer of the Customs passes an order that the goods have been exported in violation of the provisions of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), then, such claim shall be transmitted to the proper officer of Central tax, State tax or Union territory tax, as the case may be, electronically through the common portal in a system generated **FORM GST RFD-01** and the intimation of such transmission shall also be sent to the exporter electronically through the common portal, and notwithstanding anything to the contrary contained in any other rule, the said system generated form shall be deemed to be the application for refund in such cases and shall be deemed to have been filed on the date of such transmission.

(5C) The application for refund in **FORM GST RFD-01** transmitted electronically through the common portal in terms of sub-rules (5A) and (5B) shall be dealt in accordance with the provisions of rule 89.”;

(e) sub-rule (6) and sub-rule (7) shall be deemed to have been omitted;

11. In the said rules, in **FORM GSTR-3B**, -

(a) in paragraph 3.1, in the heading, after the words “liable to reverse charge”, the brackets, words and figures “(other than those covered in 3.1.1)” shall be inserted;

(b) after paragraph 3.1, the following paragraph shall be inserted, namely: -

**“3.1.1 Details of supplies notified under sub-section (5) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 and corresponding provisions in Integrated Goods and Services Tax/Union Territory Goods and Services Tax/State Goods and Services Tax Acts.**

Nature of Supplies	Total Taxable value	Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax	Cess
1	2	3	4	5	6
(i) Taxable supplies on which electronic commerce operator pays tax under sub-section (5) of section 9 [to be furnished by the electronic commerce operator]					

(ii) Taxable supplies made by the registered person through electronic commerce operator, on which electronic commerce operator is required to pay tax under sub-section (5) of section 9 [to be furnished by the registered person making supplies through electronic commerce operator].”;					
---	--	--	--	--	--

(c) in paragraph 3.2, in the heading, after the words, figures, brackets and letter “**supplies shown in 3.1(a)**”, the word, figures, brackets and letter “**and 3.1.1(i)**” shall be inserted;

(d) in the table, under paragraph 4, in column (1), -

(i) in item (B), for the entries against sub-item (1), the following entries shall be substituted, namely: -

“As per rules 38, 42 and 43 of CGST Rules and sub-section (5) of section 17”;

(ii) in item (D), -

(A) for the heading, the following heading shall be substituted, namely: -

“**Other Details**”;

(B) for the entries against sub-item (1), the following entries shall be substituted, namely: -

“ITC reclaimed which was reversed under Table 4(B)(2) in earlier tax period”;

(C) for the entries against sub-item (2), the following entries shall be substituted, namely: -

“Ineligible ITC under section 16(4) and ITC restricted due to PoS provisions”;

(e) Under the heading the Instructions, after paragraph 3, following paragraphs shall be inserted, namely: -

“(4) An Electronic Commerce Operator (ECO) shall not include in 3.1(a) above, the supplies on which the ECO is required to pay tax under sub-section (5) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 and shall report such supplies in 3.1.1(i) above.

(5) A registered person making supplies through an Electronic Commerce Operator (ECO) shall not include in 3.1(a) above, the supplies on which the ECO is required to pay tax under sub-section (5) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 and shall report such supplies in 3.1.1(ii) above.”;

12. In the said rules, in **FORM GSTR-9**, under the heading Instructions, -

(a) in paragraph 4, -

(A) after the word, letters and figures “or FY 2020-21”, the word, letters and figures “or FY 2021-22” shall be inserted;

(B) in the Table, in second column, -

(I) against serial numbers 5D, 5E and 5F, the following entries shall be inserted at the end, namely: -

‘For FY 2021-22, the registered person shall report Non-GST supply (5F) separately and shall have an option to either separately report his supplies as exempted and nil rated supply or report consolidated information for these two heads in the “exempted” row only.’;

(II) against serial numbers 5H, 5I, 5J and 5K, for the figures and word “2019-20 and 2020-21”, the figures and word “2019-20, 2020-21 and 2021-22” shall respectively be substituted;

(b) in paragraph 5, in the Table, in second column, -

(A) against serial numbers 6B, 6C, 6D and 6E, for the letters and figures “FY 2019-20 and 2020-21”, the letters, figures and word “FY 2019-20, 2020-21 and 2021-22” shall respectively be substituted;

- (B) against serial numbers 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G and 7H, for the figures and word “2019-20 and 2020-21”, the figures and word “2019-20, 2020-21 and 2021-22” shall be substituted;
- (c) in paragraph 7, -
- (A) after the words and figures “April 2021 to September 2021.”, the following shall be inserted, namely: -
- “For FY 2021-22, Part V consists of particulars of transactions for the previous financial year but paid in the **FORM GSTR-3B** between April, 2022 to September, 2022.”;
- (B) in the Table, in second column, -
- (I) against serial numbers 10 & 11, the following entries shall be inserted at the end, namely: -
- “For FY 2021-22, details of additions or amendments to any of the supplies already declared in the returns of the previous financial year but such amendments were furnished in Table 9A, Table 9B and Table 9C of **FORM GSTR-1** of April, 2022 to September, 2022 shall be declared here.”;
- (II) against serial number 12, -
- (1) after the words, letters, figures and brackets “September, 2021 shall be declared here. Table 4(B) of **FORM GSTR-3B** may be used for filling up these details.”, the following entries shall be inserted, namely: -
- “For FY 2021-22, aggregate value of reversal of ITC which was availed in the previous financial year but reversed in returns filed for the months of April 2022 to September 2022 shall be declared here. Table 4(B) of **FORM GSTR-3B** may be used for filling up these details.”;
- (2) for the figures and word “2019-20 and 2020-21”, the figures and word “2019-20, 2020-21 and 2021-22” shall be substituted;
- (III) against serial number 13, -
- (1) after the words, letters and figures “reclaimed in FY 2021-22, the details of such ITC reclaimed shall be furnished in the annual return for FY 2021-22.”, the following entries shall be inserted, namely: -
- “For FY 2021-22, details of ITC for goods or services received in the previous financial year but ITC for the same was availed in returns filed for the months of April 2022 to September 2022 shall be declared here. Table 4(A) of **FORM GSTR-3B** may be used for filling up these details. However, any ITC which was reversed in the FY 2021-22 as per second proviso to subsection (2) of section 16 but was reclaimed in FY 2022-23, the details of such ITC reclaimed shall be furnished in the annual return for FY 2022-23.”;
- (2) for the figures and word “2019-20 and 2020-21”, the figures and word “2019-20, 2020-21 and 2021-22” shall be substituted;
- (d) in paragraph 8, in the Table, in second column, -
- (A) against serial numbers, -
- (I) 15A, 15B, 15C and 15D,
- (II) 15E, 15F and 15G,
- for the figures and word “2019-20 and 2020-21” wherever they occur, the letters, figures and word “2019-20, 2020-21 and 2021-22” shall respectively, be substituted.”;
- (B) against serial numbers 16A, 16B and 16C for the figures and word “2019-20 and 2020-21” wherever they occur, the figures and word “2019-20, 2020-21 and 2021-22” shall respectively be substituted.”;

(C) against serial numbers 17 and 18, -

(I) after the words, letters and figures “for taxpayers having annual turnover above ₹ 5.00 Cr.”, the words, letters and figures “From FY 2021-22 onwards, it shall be mandatory to report HSN code at six digits level for taxpayers having annual turnover in the preceding year above ₹ 5.00 Cr and at four digits level for all B2B supplies for taxpayers having annual turnover in the preceding year upto ₹ 5.00 Cr.” shall be inserted;

(II) the following paragraph shall be inserted at the end, namely: -

“For FY 2021-22, the registered person shall have an option to not fill Table 18.”;

13. In the said rules, in **FORM GSTR-9C**, under the heading Instructions, -

(a) in paragraph 4, in the Table, in second column, for the figures and word “2019-20 and 2020-21”, wherever they occur, the figures and word “2019-20, 2020-21 and 2021-22” shall be substituted;

(b) in paragraph 6, in the Table, in second column, against serial number 14, for the figures and word “2019-20 and 2020-21”, the figures and word “2019-20, 2020-21 and 2021-22” shall be substituted;

14. In the said rules, after **FORM GST PMT-03**, the following form shall be inserted, namely: -

<b>“FORM GST PMT –03A</b>	
<i>[See rule 86(4B)]</i>	
<b>Order for re-credit of the amount to electronic credit ledger</b>	
Reference No:	Date:
1. GSTIN –	
2. Name (Legal) –	
3. Trade name, if any	
4. Address –	
5. Ledger from which debit entry was made-	Cash / credit ledger
6. Debit entry no. and date –	
7. Payment Reference Number (DRC 03): _____ dated _____	
8. Details of Payment: -	
Cause of Payment	(Deposit of erroneous refund of unutilised ITC or Deposit of erroneous refund of IGST)
Details of Refund Sanction order	1. Shipping Bill/ Bill of Export No. and Date _____ 2. Amount of IGST paid on export of goods _____ 3. Details of Exemption/Concessional Rate Notification used for procuring inputs _____ 4. Amount of refund sanctioned _____ 5. Date of credit of refund in Bank Account _____

	(or) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Category of refund and relevant period of refund _____</li> <li>2. GST RFD-01/01A ARN and Date - _____</li> <li>3. GST RFD-06 Order No. and Date _____</li> <li>4. Amount of refund claimed _____</li> <li>5. Amount of refund sanctioned _____</li> </ol>						
10. No. and date of order giving rise to recredit, if any -							
11. Amount of credit -							
		Amount of credit (Rs.)					
S.No.	Act (Central Tax/ State tax/ UT Tax/ Integrated Tax/ CESS)	Tax	Interest	Penalty	Fee	Other	Total
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Signature Name Designation of the officer							
<i>Note:</i> ‘Central Tax’ stands for Central Goods and Services Tax; ‘State Tax’ stands for State Goods and Services Tax; ‘UT Tax’ stands for Union territory Goods and Services Tax; ‘Integrated Tax’ stands for Integrated Goods and Services Tax and ‘Cess’ stands for Goods and Services Tax (Compensation to States)”;							

15. In the said rules, in **FORM GST PMT-06**, -

- (a) Under the heading **Mode of Payment (relevant part will become active when the particular mode is selected)** for the portion starting with

<input type="checkbox"/> e-Payment (This will include all modes of e-payment such as CC/DC and net banking. Taxpayer will choose one of this)
--

and ending with “*Note: Charges to be separately paid by the person making payment.*”, the following shall be substituted, namely: -

<input type="checkbox"/> e-Payment (This will include all modes of e-payment such as CC/DC, net banking and UPI. Taxpayer will choose one of this)	<input type="checkbox"/> Over the Counter (OTC)		<input type="checkbox"/> IMPS
	Bank (Where cash or instrument is proposed to be deposited)		
	Details of Instrument		
	<input type="checkbox"/> Cash	<input type="checkbox"/> Cheque	

<input type="checkbox"/> NEFT/RTGS	
Remitting bank	
Beneficiary name	GST
Beneficiary Account Number (CPIN)	<CPIN>
Name of beneficiary bank	Reserve Bank of India
Beneficiary Bank's Indian Financial System Code (IFSC)	IFSC of RBI
Amount	

*Note: Bank Charges, if any, shall be paid separately to the bank by the person making payment.*

<input type="checkbox"/> IMPS	
Remitting bank	
Beneficiary name	GST
Beneficiary Account Number (CPIN)	<CPIN>
Name of beneficiary bank	<Selected Authorized Bank>
Beneficiary Bank's Indian Financial System Code (IFSC)	<IFSC of selected Authorized Bank >
Amount	

*Note: Bank Charges, if any, shall be paid separately to the bank by the person making payment.*

(b) in the Table under the heading Paid Challan Information, for the words, letters and brackets "Bank Reference No. (BRN)/UTR", words, letters and brackets "Bank Reference No. (BRN)/UTR/RRN" shall be substituted;

16. In the said rules, in **FORM GST PMT-07**, in the Table,

(a) against serial number 6, in the third column, for the inserted, namely: -

“NEFT/RTGS <input type="checkbox"/> ”	following, shall be
“NEFT/RTGS <input type="checkbox"/>	IMPS <input type="checkbox"/> ”

(b) after serial number 10 the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

“10A.	Retrieval Reference Number (RRN) – IMPS.”;	
-------	--	--





19. In the said rules, **FORM GST RFD-10 B** shall be deemed to have been omitted with effect from the 1<sup>st</sup> day of July, 2019.

[F. No. CBIC-20001/2/2022-GST]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification No. 3/2017-Central Tax, dated the 19<sup>th</sup> June, 2017, published, *vide* number G.S.R. 610(E), dated the 19<sup>th</sup> June, 2017 and last amended, *vide* notification No.40/2021 - Central Tax, dated the 29<sup>th</sup> December, 2021, *vide* number G.S.R. 902(E), dated the 29<sup>th</sup> December, 2021.